पत्र सं0— 7 / आ0—10—02 / 2013गृ0आ0—714—— /

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक— 01 - फरवरी 2013

विषय :— **राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित साफ्टवेयर—नेशनल डाटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंस (NDA4) का उपयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा— II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक— V-11018/11/2011 आर्म्स, दिनांक 31.12.2012 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वषियांकित साफ्टवेयर का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :— यथावत्।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव।

M. GOPAL R..
Joint Secretary

गृह मंत्रालय
... एन.डी.सी.सी-II भवन
... नई दिल्ली - 110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
1st Floor, 'C' Wing, NDCC-II Building
Jai Singh Road, New Delhi - 110 001

A-S (P)

D.O.No. V-11018/11/2011-Arms
New Delhi, 31st December, 2012

Dear Shri Amir Subhani,

As you may be aware, the Central Government has amended the Arms Rules, 1962 vide GSR 585 (F) notified on 24th July, 2012; thereby making it mandatory for each authority issuing/renewing arms licences to have certain data entered in a computerized system. A copy of the Gazette notification is enclosed.

2. The objective of the aforesaid changes is to ensure that an updated and dynamic data base of arms licences issued all over India is available in a central data base. National Informatics Centre (NIC) has developed a software called National Database on Arms Licences (NDAL) for this purpose.

3. In the beginning, we want this software to be used in respect of all arms licences issued to individuals. The software has been made web-based and the user ids and passwords in respect of all districts in your State have been generated. You will also find every detail needed for downloading and using this software in the documents enclosed.

4. A copy of each of the three documents viz. (i) An introduction – National Database of Arms Licences (NDAL), (ii) Arms Master – User Manual, (iii) Arms Admn. Module (AAM) is enclosed.

5. I shall be grateful if you issue immediate instructions to each district licensing authority in your State to start using this software.

Regards

Yours sincerely,

(M.GOPAL REDDY)

Encl. 5 (five)

Shri Amir Subhani
Home Secretary,
Govt. of Bihar,
PATNA-800001

36
11-01-13

1260 S.
11/01/13

23...: Fax : 23438051 E-mail: ...@mha.gov.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

(39)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 2012/श्रावण 2, 1934

No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 2012/SRAVANA 2, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 585(अ).—आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 तथा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आयुध नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयुध (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के बाद प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध नियम, 1962 के, नियम 54 में, उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(5) केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी तथा नवीकरण प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करते समय अथवा उसका नवीकरण करते समय, जैसा भी मामला हो, रिकार्ड के डाटा को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथा विधिवत अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक आरूप में प्रविष्टि करेगा।

(6) लाइसेंस प्रदाता प्राधिकारी तथा नवीकरण प्राधिकारी इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित की गई इलैक्ट्रॉनिक स्वचालित प्रणाली में यथा अपेक्षित डाटा की भी प्रविष्टि करेगा और उक्त इलैक्ट्रॉनिक स्वचालित प्रणाली एक विशिष्ट नंबर सृजित करेगी जिसके बिना किसी भी आयुध लाइसेंस को 1 अक्तूबर, 2015 से वैध नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. V-11026/64/2010-आर्म्स]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2012

G.S.R. 585(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 and Section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the expiry of sixty days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 1962, in rule 54, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(5) The licensing authority and the renewing authority at the Centre or at the State level, while granting a licence or renewing a licence, as the case may be, shall enter the data of the record in an electronic format duly approved by the Central Government or the State Government, as the case may be.

(6) The licensing authority and the renewing authority shall also enter such data as are required in an electronic automated system as developed by the National Informatics Centre for this purpose and the aforesaid electronic automated system shall generate a unique number without which no arms licence shall be considered as valid with effect from the 1st October, 2015."

[F. No. V-11026/64/2010-Arms]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy.

2686 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

पत्र संख्या–7/अनु0–10–02/2013 गृ0आ0

बिहार सरकार,

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

श्रवण कुमार पंसारी
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– जून, 2013

विषयः– **(NDAL) National Data base of Arms licences के क्रियान्वयन के समबन्ध में।**

प्रसंग :– **इस कार्यालय का पत्रांक 714 दिनांक 01.02.2013 का निदेश करें।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि NIC के द्वारा विकसित NADAL का उपयोग सभी अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले पदाधिकारी को प्रारम्भ करने का निदेश भेजा जा चुका है।

इस उद्देश्य के लिए आप अपने जिला के वरीय उप समाहर्त्ता को नोडल पदाधिकारी नामित कर दें उनका नाम पदनाम E_mail ID, मोबाईल संख्या, दूरभाष संख्या गृह विभाग के आई0टी0 प्रबन्धक पटना को भेजने का कष्ट करें। श्री श्याम मोहन दूबे आई0टी0 प्रबन्धक, गृह विभाग को मोबाईल संख्या– 9470043209 है तथा उनका E_mail Id- it.manager.home@gmail.com है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कर गृह (आरक्षी) विभाग, पटना द्वारा NADAL के उपयोग के लिए सभी जिला को अलग–अलग User ID/Password भेजा जा चुका है। इसके उपयोग में कोई कठिनाई हो तो श्री दूबे आई0टी0 प्रबन्धक गृह (आरक्षी) विभाग, पटना से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO) को भी अपने स्तर से इस NADAL के नये Software का उपयोग करने का निदेश अपने स्तरसे देंगे। DIO को यदि कोई कठिनाई हो तो श्री राजीव रंजन, प्रधान प्रणाली विश्लेषक–सह–परियोजना समन्वयक बिहार, पटना से सम्पर्क कर सकते है इनका E_mail Id- rajiv.ranjan @nic.in एवं मोबाईल संख्या 9431602887 है।

अतः NADAL को उपयोग सुनिश्चित किया जाय, तथा अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

(क्र॰पृ॰उ॰)

ज्ञापांक :–7 / अनु0–10–02 / 2013 गृ0आ0 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी, तृतीय तल, एन0आई0सी0 टेकनोलॉजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–7 / अनु0–10–02 / 2013 गृ0आ0 4711 पटना, दिनांक 19/6/13

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.13

सरकार के संयुक्त सचिव।

5

पत्रांक–7/अनु0–10–02/2013...4430.../

फैक्स/ईमेल

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

कौशलेन्द्र पाठक,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ...28...मई, 2014

विषय :– Natioanl Data Base of Arms Licence (NDAL) के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि Natioanl Data Base of Arms Licence (NDAL) के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 02.06.2014 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से पुराना सचिवालय स्थित सभा–कक्ष में सभी जिला नोडल पदाधिकारियों/जिला शस्त्र दण्डाधिकारियों एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारियों (D.I.O.) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। NDAL के बिहार प्रभारी श्री राजीव रंजन, प्रधान प्रणाली विश्लेषक–सह–परियोजना समन्वयक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपने जिला के संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/5/2014

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु0–10–02/2013...4430.../ पटना, दिनांक...28...मई, 2014

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, तीसरी मंजिल टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु सूचना देने की कृपा करें।

28/5/2014

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु0–10–02/2013...4430.../ पटना, दिनांक...28...मई, 2014

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन, प्रधान प्रणाली, विश्लेषक–सह–परियोजना समन्वयक, एन0आई0सी0, टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि NDAL के कार्यान्वयन से संबंधित सभी सामग्री (सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित) दिनांक– 29.05.2014 तक विभाग को उपलब्ध करा दें जिससे प्रशिक्षणार्थियों को इसकी प्रति प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराया जा सके।

28/5/2014

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु0–10–02/2013...4430.../ पटना, दिनांक...28...मई, 2014

प्रतिलिपिः– श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/2014

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु0–10–02/2013...4430.../ पटना, दिनांक...28...मई, 2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/2014

सरकार के संयुक्त सचिव

फैक्स / ईमेल

पत्रांक–7 / अनु0–10–02 / 2013 4489 /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

कौशलेन्द्र पाठक,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 30 मई, 2014

विषय :– **Natioanl Data Base of Arms Licence (NDAL) के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–4430, दिनांक–28.05.2014 के प्रसंग में सूचित करना है कि जिला नोडल पदाधिकारियों / जिला शस्त्र दण्डाधिकारियों एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारियों (D.I.O.) के लिए दिनांक 02.06.2014 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को कतिपय कारणवश रद्द कर दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 11.06.2014 के पूर्वाहन् 10:30 बजे से पुराना सचिवालय स्थित सभा–कक्ष में आयोजित किया जायेगा। साथ ही उक्त तिथि को IVFRT पर राज्य स्तरीय सम्मेलन–सह–प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है जिसमें भी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को भाग लेना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपने जिला के संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7 / अनु0–10–02 / 2013 4489 / पटना, दिनांक 30 मई, 2014

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, तीसरी मंजिल टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी परिवर्तित तिथि की सूचना सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु देने की कृपा करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7 / अनु0–10–02 / 2013 4489 / पटना, दिनांक 30 मई, 2014

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन, प्रधान प्रणाली, विश्लेषक–सह–परियोजना समन्वयक, एन0आई0सी0, टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि NDAL के कार्यान्वयन से संबंधित सभी सामग्री (सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित) दिनांक– 02.06.2014 तक विभाग को उपलब्ध करा दें जिससे प्रशिक्षणार्थियों को इसकी प्रति प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराया जा सके।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7 / अनु0–10–02 / 2013 4489 / पटना, दिनांक 30 मई, 2014

प्रतिलिपिः– श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7 / अनु0–10–02 / 2013 4489 / पटना, दिनांक 30 मई, 2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव